संख्या- 2199 /सैंतीस-2-2024

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०।

2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2024**

विषय:- गोवर्धन पूजा के अवसर पर गो आश्रय स्थलों में समारोहपूर्वक गोपूजन किये जाने एवं दीपावली व भाईदूज के अवसर पर सतर्कता बरते जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में गोवर्धन पूजा, दीपावली एवं भाईदूज त्यौहारों को बड़ी धूम- धाम से मनाया जाता है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आगामी गोवर्धन पूजा के अवसर पर गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों में समारोहपूर्वक गोपूजन किया जाय। गो आश्रय स्थलों में उक्त त्यौहारों को धूम-धाम से समारोहपूर्वक मनाये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है -

(1) अस्थायी गो आश्रय स्थलों, गोसंरक्षण केन्द्रों, कान्हा गौशाला एवं कांजी हाउस जहाँ निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, उन स्थलों पर साफ सफाई, स्वछता, प्रकाश, स्वच्छ पेय- जल एवं भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(2) गो आश्रय स्थलों पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर समारोहपूर्वक गोपूजन किया जाय तथा मा० जनप्रतिनिधियों/मा० सांसद/मा० विधायक/मा० मंत्री को सादर आमंत्रित किया जाय।

(3) समस्त निराश्रित गोवंशों को गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित किया जाय जिससे निराश्रित गोवंश राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्गों, बाजारों/हाटों आदि में विचरण करते न पाए जाएं।

(4) दीपावली के दृष्टिगत बाजार एवं मण्डी के निकट नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया जाय।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि राजमार्गों, राजकीय मार्गों एवं बाजारों में दीपावली व भाईदूज पर अधिक भीड़-भाड़ एवं यातायात/आवागमन होने के दौरान निराश्रित गोवंशों से दुर्घटना की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाय एवं पेट्रोलिंग भी की जाय।

(6) गाय के गोबर से बने दीपों, मूर्तियों आदि के उपयोग हेतु जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय एवं इन उत्पादों के विपणन हेतु बाजारों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(7) आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत नगर आयुक्त एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाय।

(8) ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक गो आश्रय स्थल/कान्हा गोशाला में एक सुयोग्य केयर टेकर एक सप्ताह में तैनात किया जाय, जिसके द्वारा उक्त स्थलों का लेखा-जोखा तैयार कर संरक्षित करते हुए आश्रय स्थल पर रात्रि विश्राम भी किया जाय।

(9) पुलिस प्रशासन द्वारा गो आश्रय स्थलों की पेट्रोलिंग बीट के कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 22-10-2024 18:56:26
(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2199 (1)/ सैंतीस-2-2024 तदिद्नांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०, शासन।

2- स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०, शासन।

3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०, शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र०, शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०, शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०, शासन।

7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०, शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव